सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
नई दिल्ली

एनईपी-2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करते समय कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए:

(अंतिम चयन का अधिकार सीसीआरटी के पास है)

- पंजीकरण के समय शिक्षकों की आयु अधिकतम 52 वर्ष तक होनी चाहिए (पंजीकरण के समय जन्म तिथि का प्रमाण देना अनिवार्य है)।

- विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक उदाहरण के लिए भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, विज्ञान, ललित कला, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, संगीत आदि पाठ्यक्रम के लिए सिफारिश कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए योग, शारीरिक शिक्षा और एस.यू.पी.डबल्यू. विषयों से संबंधित शिक्षक के नाम की अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए।

- किसी विद्यालय से एक समय में केवल एक शिक्षक अनुस्थापन पाठ्यक्रम के लिए आवेदन दे सकते हैं।

- केवल कक्षा 6/7/8/9/10/11 और 12 में पढ़ाने वाले शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों / प्राचार्यों को अनुस्थापन पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए।

- जो शिक्षक पहले से ही अनुस्थापन पाठ्यक्रम या अनुस्थापन (बुनियादी) पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं, उन्हें पुनः प्रतिनियुक्त/अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए।

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए सिफारिश/प्रतिनियुक्ति के लिए महिला शिक्षकों को वरीयता दी जा सकती है।

- एनईपी 2020 के अनुसार केवल नियमित शिक्षक ही अनुस्थापन पाठ्यक्रम के पात्र हैं, अनुबंध/परिवीक्षा पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

- ऐसे शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए जिन्हें शिक्षण में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो।

विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के लिए सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन

सांस्कृतिक शैक्षिक किट में निम्न शामिल हैं:

- ऑडियो/वीडियो दस्तावेज़ों के लिंक
- 20 प्रकाशन

इनकी आपूर्ति केवल माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निम्नलिखित शर्तों पर की जाएगी:

- सफल भागीदारी और प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करना
- संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना
- यदि स्कूल/संस्थानों में उपर्युक्त सीसीआरटी सांस्कृतिक शैक्षिक किट और आवश्यक उपकरण पहले से उपलब्ध नहीं हों।
- **यदि विद्यालय के पास अपेक्षित कार्यात्मक डिजिटल बुनियादी ढांचा हो**